प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

Three Days Training Course on "Capacity building of
Special Juvenile Police Unit and Child protection related issues"

(For H.C. to Dy.S.P.)

दिनांक 26-07-2021 से 28-07-2021

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 26-07-2021 से 28-07-2021 Three Days Training Course on "Capacity building of Special Juvenile Police Unit and Child protection related issues" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल कक्ष में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 34 प्रतिभागियों जिसमें 16 पुलिस उप अधीक्षक, 12 पुलिस निरीक्षक, 03 उप निरीक्षक 02 सहायक उप निरीक्षक 01 हैड कानिस्टेबल ने भाग लिया।

दिनांक 22-06-2021, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्री कल्याण मीणा, आईपीएस, एएचटी और सिविल राइट्स, जयपुर ने An Overview of the Workshop, Introduction of Participants and Facilitators/Resource Persons by Course Director Child Rights: Development, Historical background, UNCRC, Understanding Child Rights, Explaining Child Rights पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री उत्कर्ष द्विवेदी, उच्च न्यायालय अधिवक्ता, जयपुर ने Child Protection issues in Rajasthan: Status of children with special reference of JJ Act & its implementation in Rajasthan, Police procedure for crime committed by children as per JJ Act and JJ Rules -2015, Child Labour Act 1986 & its impact of childhood पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर, आरपीए ने Strengthening Investigation and response against Human Trafficking cases: FIR, Search, Seizure, Arrest, Submission of charge sheet, Standard operating procedures (SOP) on Investigation crimes of

trafficking for commercial sexual exploitation. Dos and Don'ts in police response to trafficking in women including NHRC guidelines. Reporting formats for SJPU /CWPO पर अपना व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री गजेंद्र शर्मा, उप निरीक्षक, एसओजी, जयपुर ने Cyber Crime against Women and Children:IT Act 2000, Online crimes and abuse on social networking sites and cyber pornography, Types of cybercrimes and its remedies पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री सूर्य प्रताप सिंह, कानूनी सलाहकार, एनआरएचएम, जयपुर ने Female foeticide : PCPNDT Act: Present practices by the implementing agencies & effective implementation of the law पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्रीमती सुनिता मीणा, अति पुलिस उपायुक्त, जयपुर ने Key constituents /units and its functions: Role of Mahila Unit, AHTU, SJPU, Senior Citizen Cell and Mahila Thana, Coordination and convergence with Police Stations for strengthen and unified response for crime against children पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री धर्मवीर यादव, राज्य सलाहकार (बाल विवाह) यूनिसेफ ने Child Marriage: Social, Health, Emotional & Economic Impact, Provision and rules under the Child Marriage act 2006 SOP for Child Marriage एवं Juvenile Justice (care and Protection) Act. 2015, JJ Act. 2015 and role of SJPU and CWPO, Role of SJE, DCR , CWC and JJB पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में सुश्री शालिनी शयोरण, कानूनी सलाहकार, केंद्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, भारत सरकार ने Crime Against Children and POCSO Act. 2012: POCSO Act 2012 its key feature and SOP, Latest amendments of POCSO Act. 2012, Age Determination, Do's and Don't's पर चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री विजय कुमार सिंह, आईपीएस, IGP, C.I.D. (C.B.) राजस्थान, जयपुर ने पधारे जिनका विधिवत स्वागत श्री सौरभ कोठारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सीओई), कोर्स डायरेक्टर द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा Capacity building of Special Juvenile Police Unit and Child protection related issues विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तक और प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।